न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सांचोर–जालोर

पीठासीन अधिकारीः भूपेन्द्र कुमार यादव, आर.ए.एस.

राजस्व प्रकरण संख्या : 04/2019 अन्तर्गत धारा 251 ए राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

अनवान

प्रार्थी 1 दिनेश कुमार पुत्र हरिराम, जाति–विश्नोई, निवासी–दाता,
तहसील–सांचोर, जिला–जालोर

अप्रार्थीगण : 1 महेश कुमार पुत्र हरिराम
2. वीरादेवी पत्नी अमलुराम
3. जमनादेवी पत्नी बाबूलाल
4. तलसीदेवी पत्नी मोहनलाल
5. सुगणी पत्नी भगाराम
6. अमलूराम पुत्र बलूरामजी
सभी जातियान–विश्नोई साकिन दाता
तहसील–सांचोर, जालोर।
7. शाखा प्रबन्धक यूको बैंक शाखा सांचोर
8. सरकार जरिये तहसीलदार सांचोर

निर्णय

दिनांकः15.2.2021

प्रार्थी द्वारा जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र धारा अन्तर्गत 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस प्रकार पेश किया कि प्रार्थी ग्राम दाता, पटवार हल्का –नानोल, तहसील–सांचोर जिला–जालोर राज0 का निवासी है। प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी का खेत वाके सरहद मौजा –दाता, पटवार हल्का नानोल तहसील–सांचोर में खसरा नम्बर 688 रकबा 1.71 हेक्टर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 687 रकबा 0.05 हेक्टर गैर मुमकीन ढाणी कुल रकबा 1.76 हेक्टर स्थित है जो प्रार्थी दिनेश कुमार व अप्रार्थी संख्या 1 महेश कुमार पुत्र हरिराम विश्नोई सा0 दाता के शामलाती खातेदारी व कब्जाकाश्त सुदा है। उक्त खेत में आने जाने के लिए प्रार्थी दिनेश कुमार व अप्रार्थी महेश कुमार के आवागमन का रास्ता प्रयोजनार्थ की भूमि राजस्व रेकर्ड में नही है। उक्त खेत में आवागमन हेतु रास्ते की प्रार्थी व अप्रार्थी महेश कुमार को अत्यन्त आवश्यक्ता है । अतः रास्ते की भूमि राजस्व अभिलेख में रास्ता अभिलिखित किया जान न्याय संगत है। इस हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश है प्रार्थी के उक्त खेत ग्राम दाता में प्रार्थी के खेत में जाने हेतु सबसे नजदीकी रास्ता सरहद मौजा –दाता के खसरा नम्बर 684 रकाब 1.70 हेक्टर में बारानी सोयम में से उपयुक्त रहेगा। जो नक्शा में लाल रंग से दर्शाया गया है जो मौके पर जागीरी समय का है लेकिन राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं होने से प्रार्थीगण बार बार बंद कर देते है तथा अभी खसरा नम्बर 684 खातेदारान अप्रार्थीगण ने रास्ते के बीच में कांटे डालकर अवरोध किया है । ऐसी सूरत में प्रार्थी दिनेश कुमार व अप्रार्थी महेश कुमार को

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhupendra Kumar Yadav
Date: 2021.02.19 17:54:22 IST
Reason: SelfAttested

15/2/21

Scanned by CamScanner

खेत खसरा नम्बर 688 रकबा 1.71 हेक्टर व ढाणी खसरा नम्बर 687 रकबा 0.05 हेक्टर में जाने के लिए ग्राम दाता में स्थित खेत खसरा नम्बर 684 रकबा 1.70 हेक्टर में से नक्शा परिशिष्ठ 'अ' में वर्णित लाल रंग की भूमि रास्ते के उपयोग के लिए भूमि घोषित करने के लिए प्रार्थी प्रार्थना करता है। इस रास्ते के अलावा प्रार्थी व अप्रार्थी महेश कुमार के खेतों में आवागमन का अन्य कोई रास्ता नही है । प्रार्थी व अप्रार्थी महेशकुमार पीढीयों से इस जगह से आवागमन करते आ रहे है। लेकिन राजस्व रेकर्ड में रास्ता दर्ज नही होने से अभी खसरा नम्बर 684 में रास्ता बंद किया है।

दाता के खेत खसरा नम्बर 684 रकबा 1.70 हेक्टर में से 30 फीट चौडा व 40 मीटर लम्बा रास्ता जिसे संलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'अ' में लाल रंग से दर्शाया गया है जो भूमि प्रार्थी दिनेश कुमार व अप्रार्थी सं. 1 महेशकुमार के रास्ता प्रयोज़नार्थ अत्यन्त आवश्यक है व आवागमन उपयोग की सुविधाजनक है इसके अलावा अन्य कोई रास्ते की भूमि कटाण रास्ते से आवेदक दिनेश कुमार व अप्रार्थी महेश कुमार के खेत तक पहुचने का निकटतम रूट का रास्ता नही है। प्रस्तावित रास्ता प्रार्थी व अप्रार्थी महेश कुमार का जागीरी समय का है जो आवागमन के लिए उपयोग किया जा रहा है। इस कारण उक्त भूमि को आवेदक के उपयोग, आवागमन रास्ते हेतु सुविधा के लिए राजस्व अभिलेख में अभिलिखित की जावे।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि खेत खसरा नम्बर 484 रकबा 1.70 हेक्टर में से 30 फीट चौडा व 40 मीटर लम्बा रास्ता की भूमि जिसे संलग्न नक्शा परिशिष्ठ अ में लाल रंग से दर्शाया गया है जो प्रार्थी/आवेदक दिनेशकुमार व अप्रार्थी सं. 1 महेशकुमार पिसरान हरिराम, जातियान–विश्नोई, साकिनान–दाता, तहसील–सांचोर के समाविष्ट करने वाली इस भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की जाकर रास्ता उपयोग के रूप में अभिलिखित किये जाने का आदेश फरमावे।

तलबी अप्रार्थीगण जरिये नोटिस की गई। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 द्वारा जवाब इस प्रकार पेश किया कि :–

प्रार्थी का खेत ख.नं. 687,688 जुमले रकबा 1.76 हेक्टर पहले हरिराम पुत्र सोनारामजी के नाम था जो दान पत्र के जरिये दिनांक 20.9.2013 को उनके दो पुत्र दिनेश कुमार व महेशकुमार के नाम दर्ज हुआ जिसमें से एक प्रार्थी है व हरिराम से पूर्व यह भूमि जिसके पुराने ख.नं. 232,233,234 के नये नम्बर 685,686,687,688,692,697,698,699,700,701,702 दर्ज हुए है। जिसके लिए पूर्व में यह भूमि प्राथी के पिता हरू के सात भाईयों के नाम थी, जिन्होने बंटवाडा कर हमारे खातेदारी के पेरलल उनके नाम आयी भूमि का बंटवाडा किया है। तब हमारी भूमि प्रार्थी के पिता व अन्य के [illegible] से व आवागमन का रास्ता प्रार्थीगण के व उनके पिता के नाम रही [illegible] हमने [illegible] पर आई व्यवसायीक प्रयोजन की भूमि में से सरेन्डरनामा कर उनके खेतों [illegible] हेतु रास्ता दिनांक 7.11.2016 को भूमि सरेन्डर कर दिनांक 10.4.2017 को रास्ते के रूप [illegible] दर्ज करवाई। जो एक बार प्रार्थी के पिता व भाईयों को रास्ता दिया जा चुका है तो बार–बार रास्ता नही दिया जा सकता

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhupendra Kumar Yadav
Date: 2021.02.19 17:54:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

अब रास्ता सुविधानुसार अपने भाईयों में से ही प्राप्त कर सकते है। पुराना नम्बर 232,233,234 रास्ते से जोड दिया है। अब उनके होने वाले टूकडो को भी बार–बार रास्ते से नही जोडा जा सकता ऐसा किया जाता है तो मेरी खातेदारी की उपयोगिता ही समाप्त हो जायेगी । जहां रास्ता मौके पर मौजुद है व बंद किया है तो सुखाचार में उपयोग मिलेगा।

पुराने खसरा नम्बर 232,233,234 के बाद बंटवाडा नये सृजित नम्बर 686,688,698,701 में से होकर ख.नं. 692 तक रास्ता वर्तमान में चल रहा है । जो भाई बंटवाडा वक्त से मौके पर रास्ता सुखाचार के तहत उपलब्ध है। परन्तु राजस्व रेकर्ड में दर्ज नही है । तथा ख.नं. 692 के खातेदार भगवाना, बाबु पुत्र दाना के खेत तक जायेगा जो प्रार्थीगण के खेत से होकर जाऐगा। इसलिये पहले से लम्बित प्रार्थना पत्र के जरिये प्रार्थी को रास्ता मिल रहा है। तो नया प्रार्थना पत्र अपोषनिय है।

प्रार्थी के खेत में आवागमन हेतु हम अप्रार्थी के खेत में से कोई सूविधा जनक रास्ता नही है। न ही मौके पर है। क्योकि जहा से प्रार्थी ने रास्ता हेतु दर्शाया है। वहा पर हमारी दुकाने ओरडीया वर्षो पुरानी बनी है। तथा रोड से लगता पुरा भाग पर दुकाने है। तथा प्रार्थी व उसके भाईयों के लिए उनके नाम पुराने ख.नं. 284 की भूमि हेतु व उसके नये सृजित नम्बर हेतु पुर्व में हमारे खेत में से होकर रास्ता दिया जा चुका है। तो बार–बार बंटवाडे हेतु रास्ता नही दिया जा सकता ऐसा हो जाता है तो मेरे खेत के टुकडे–टुकडे हो जायेगे व उसकी उपयोगिता नही रहेगी व काश्त उपयोगी नही रहेगा। प्रार्थी के पुराना रास्ता होने व कांटे डालने के कथन मिथ्या व झुठे किये है व जहां से नजरी नक्शा में रास्ता दर्शाया है वहां हमारी पुरानी दुकाने बनी है।

प्रार्थी के खेत में आवागमन हेतु प्रार्थी के भाईयों के नाम खेत को जोडने वाली पक्की डामर सडक से प्रार्थी के भाईयों के खेत खसरा नं. 692 के खातेदार बाबू, भगवाना को जोडने के लिए पुराना कदीमी रास्ता ख.नं. 698, 701 में से होकर प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 688 में से होकर उससे लगता हुआ पेरलल रास्ता ख.नं. 692 तक मौके पर मौजुद है और रास्ते के दोनो और कंटीले तारो की बाड है। जहां प्रार्थी व लाला ने रास्ता रोकने का प्रयास किया तो इसी खातेदारी के खातेदार बाबु , भगवाना ने 2013 में रास्ता प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया था जो अभी लम्बित है। जिसके लिए रास्ता उपलब्ध होने पर प्रार्थी स्वतः ही रास्ते से जुड जायेगा क्योकि प्रार्थी का खेत रास्ते में आता है। व मांग किया गया रास्ता प्रार्थी के खेत को जोडता हुआ निकलता है। तथा प्रार्थी ने 30 फूट रास्ते की मांग बदनियति पूर्वक की है

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र उक्त आधारों पर निराधार व बेबुनियाद पर आधारित होने से प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के है खारीज फरमावे।

प्रार्थना पत्र पर मौका रिपोर्ट तहसीलदार तलब की गई तहसीलदार सांचोर द्वारा उभय पक्ष की उपस्थिति में मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट इस प्रकार पेश की गई कि मौजा दाता के ख.नं. 684 रकबा 1.70 हे. किस्म बारानी सायम में से प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के स्थल का मौका मुआयना रूबरू मौतबरानो के किया गया । ख.न. 684 जो कि रानीवाडा–सांचोर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhupendra Kumar Yadav
Date: 2021.02.19 17:54:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

मुख्य सडक से लगता हुआ है। प्रार्थी दिनेश कुमार पुत्र हरीराम का खेत ख.नं. 687 रकबा 0.05 हे. खसरा नम्बर 688 रकबा 1.71 हेक्टर का संयुक्त खातेदारी महेशकुमार दिनेश कुमार पि. हरीराम के नाम से आया हुआ है। तथा खसरा नम्बर 684 रकबा 1.70 हेक्टर में प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के स्थान पर मौके पर सडक से लगती दूकाने निर्मित है तथा पीछे का भाग खाली भूमि पडी है। मुख्य सडक से निर्मित दूकानों सहित प्रार्थी के खेत के माठ की दूरी 33 मीटर है । आज दिनांक को प्रार्थी द्वारा वर्णित स्थल पर कोई रास्ता चालू हालत में नही है । तथा न ही कोई नवीनतम रास्ता के आलामात है । प्रार्थी के खेत व अडौस पडोस लगते खेतो व रास्ते का मोका जांच करने पर पाया कि वर्तमान में सांचोर रानीवाडा मुख्य सडक से बावलिया (दाता) स्टेशन से कुडा जाने वाली डामरीकृत सडक से ख.नं. 686 व 688 में से ख.नं. 692 तक जाने वाले चालू रास्ते से प्रार्थी व अन्य पडौसीगण भगवाना,बाबू पि. दाना, रामकिशन पुत्र सोनाराम वगैराह विश्नोई का आवागमन चालू है। मार्ग के दोनो तरफ तारबंदी लगी हुई है। प्रार्थी ख.नं. 686 व 688 के चालू रास्ते का अपने घर व खेत तक आने–जाने के रूप में उपयोग में ले रहा है। बावलिया (दाता) स्टेशन से कुडा जाने वाली डामरीकृत सडक पर स्थित ख.नं. 686 रकबा 1.18 हेक्टर प्रार्थी के पिताजी हरीराम के सगे भाई केसाराम पुत्र सोनाराम विश्नोई का खातेदारी खेत है जिसमें से वर्तमान में मार्ग रास्ता चालु है लेकिन राजस्व रेकर्ड में दर्ज नही है। प्रार्थी के खेत ख. नं. 687,688 व 685,686,692, 697,698 ,699, 700 ,701,702, पुराने ख.नं. 232,233,234 कुल रकबा 57 बीघा संयुक्त खातेदारी दाना, उदा, केसा,लाला, हरू,रामकिशन,भागीरथ पि. सोना कौम विश्नोई सा.देह खातेदार जमाबंदी संवत् 2038 से 2041 तक व मिलान क्षैत्रफल अनुसार बने है।

उपरोक्त अनुसार मौके की भौतिक स्थिति व चालू कदीमी रास्ता जो प्रार्थी के बाप–दादा की पुश्तैनी भूमि में से चल रहा है प्रार्थी दिनेश कुमार पुत्र हरीराम के खेत ख.नं. 688 तक सडक से पहुचने हेतु ख.नं. 686 में से मार्क ए से बी तक कुल रकबा 448 वर्गमीटर रास्ता घोषित किया जाना उचित है।

प्रकरण में बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। जिसमें उभयपक्ष ने पार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान किया ।

प्रार्थी द्वारा अपने खातेदारी खेत 688 व 687 के लिए खसरा संख्या 684 से होकर रास्ता चाहा है जो नक्शा परिशिष्ट 'अ' के अनुसार है प्रार्थी के अनुसार खेत खसरा सख्या 687 एवं 688 तक पहुचने के लिए यह नजदीकतम एवं सुविधाजनक रास्ता है। मौका रिपोर्ट तहसीलदार के अनुसार प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते पर पक्का निर्माण हो रखा है साथ ही यह भी एडमिटेड फैक्ट है कि प्रार्थी द्वारा जिस स्थान से होकर रास्ता चाहा गया है वह भूमि वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित भूमि है मौका रिपोर्ट तहसीलदार के अनुसार प्रार्थी वर्तमान में खेत खसरा संख्या 686 से होकर आवागमन करते है तथा यह रास्ता चालू कदीमी रास्ता है जो प्रार्थी के बाप–दादा की पुश्तैनी भूमि से होकर गुजरता है जो प्रार्थी को सडक से जोडता है। प्रार्थी के अनुसार अप्रार्थीगण के पूर्वजों की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 232,233,234 से हाल खसरा नं. 685,686 ,687 ,688 ,692,697 ,698,

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhupendra Kumar Yadav
Date: 2021.02.19 17:54:22 IST
Reason: SelfAttested

15/2/21

Scanned by CamScanner

699,700,701,702 बंटवाडे से बने है जिसमें प्रार्थी द्वारा सभी खसरों तक पहुचने के लिए दिनांक 7.11.2016 को भूमि सरेण्डर भी कराई थी जो दिनांक 10.04.2017 को रास्ते के रूप में दर्ज की गई । साथ ही न्यायालय हाजा में खसरा नं. 692 तक पहुंच मार्ग हेतु एक अन्य आवेदन भी विचाराधीन है अतः सभी खसरों को एक साथ सडक मार्ग तक पहुँच के लिए खसरा नम्बर 688 व 686 से होकर रास्ता दिया जाना उचित होगा। तहसीलदार सांचोर ने भी अपनी मौका रिपोर्ट में इसी रास्ते को उचित माना है।

सम्पूर्ण प्रकरण अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा जिस खसरे से होकर रास्ता चाहा गया है वह वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित भूमि है चाहे गये रास्ते पर पक्का निर्माण भी हो रखा है, प्रार्थी की पहुंच के लिए पारिवारिक पुश्तैनी भूमि खसरा संख्या 686 से होकर कदीमी रास्ता उपलब्ध है। अतः प्रार्थी के पास वैकल्पिक मार्ग भी उपलब्ध है।

अतः प्रार्थना पत्र धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज योग्य होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी - सांचोर जिला जालोर (राज0)

भूपेन्द्र कुमार यादव
उपखण्ड अधिकारी
सांचोर
उपखण्ड अधिकारी
सांचोर

निर्णय आज दिनांक 15.2.2021 को सरे इलजास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
सांचोर
सांचोर

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhupendra Kumar Yadav
Date: 2021.02.19 17:54:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner